UPFR010023722026

Fatehgarh

Bail Application/625/2026

Saurish Vs. State Government

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फर्रुखाबाद।

उपस्थित– शैलेन्द्र सचान ..... एच.जे.एस., (J.O. CODE No–UP 2406)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 625/2026

सौरीश पुत्र असलम निवासी हाजीगंज याकूतगंज थाना कोतवाली फतेहगढ जनपद फर्रूखाबाद।

बनाम

उ०प्र०राज्य।

अ०स०–135/2025
धारा –115(2),351(2),352,
140(1)BNS
थाना – कोतवाली फतेहगढ।
जिला फर्रूखाबाद।

12.06.2026

आवेदक /अभियुक्त सौरीश की ओर से अ०स०–135/ 2025,धारा 115(2),351(2),352,140(1)BNS थाना–कोतवाली फतेहगढ जिला फर्रूखाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा मे है।

प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी श्री रमेश चन्द्र द्वारा इन कथनों के साथ दर्ज करायी गयी है कि प्रार्थी रमेशचन्द्र पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम व पोस्ट याकूतगंज थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद का रहने वाला है। प्रार्थी

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.06.12 16:44:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का पुत्र सुनील, मलिका पुत्र असलम निवासी मोहल्ला हाजीगंज ग्राम याकूतगंज थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद के पास कबाड़े की फेरी का काम करता था। प्रार्थी का पुत्र सुनील ने एक कटा उक्त मलिक को बेचा था जो कटा निवासी के किसी व्यक्ति का था जिस पर उक्त व्यक्ति ने प्रार्थी के पुत्र से पूछा तो प्रार्थी के पुत्र ने कटा मलिक को बेचने की बात बतायी जिस पर उक्त मलिक प्रार्थी के पुत्र से रंजिश मान गया। दिनांक–19.05.2025 को मलिक, सोरिस पुत्रगण असलम, खालिज पुत्र नामालूम निवासीगण मोहल्ला हाजीगंज ग्राम व पोस्ट याकूतगंज ने प्रार्थी के पुत्र को जखैया महाराज के मन्दिर से उठाकर चौसपुर बघार पर ले जाकर काफी मारपीट की तो राहगीरों ने मारपीट करते हुए उपरोक्त लोगों को देखा और उक्त सारी घटना 5 दिन बाद प्रार्थी को बतायी। तब से प्रार्थी का पुत्र गायब है और प्रार्थी ने अपनी रिश्तेदारी व हर जगह खोजबीन कर ली परन्तु उसका कोई पता नही चल रहा है। जब प्रार्थी ने उपरोक्त लोगों से शिकायत की और अपने पुत्र के बारे में पूछा तो उपरोक्त लोग प्रार्थी को धमकी देने लगे कि अगर तू दोवारा उनसे पूछने आया तो उसे भी गायब कर देगे और प्रार्थी को गाली गलौज कर वहां से भगा दिया। प्रार्थी को आशंका है कि उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी के पुत्र के साथ कोई अनहोनी घटना घटित न कर दी हो। प्रार्थी काफी परेशान है। प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है उसे उपरोक्त प्रकरण में झूंठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से विधिक रायमशविरा करने के उपरान्त झूंठी अंकित कराई गई है एवं विलम्ब का कोई समुचित कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नही दर्शाया गया है जो भी साक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाये गये है वे सभी शिकायतकर्ता के परिवारी व हितैषी है। उपरोक्त में प्रारम्भ में अ०धारा 115(2),352,351(2) व 140(1) बी०एन०एस० में पंजीकृत हुआ था जिसमें मलिक व खालिज उर्फ खालिद का चालान किया गया था एवं प्रार्थी सौरीश का चालान धारा 170/126/135 बी०एन०एस०एस० में किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। उपरोक्त प्रकरण के वादी के पुत्र का पता न चलने पर वादी मुकदमा द्वारा एक याचिका माननीय

उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसमें वादी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक, विवेचक व अन्य को पक्षकार बनाया गया है। जिसमें दवाव के कारण उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी का चालान धारा 115(2),352,351(2) व 140 (1) बी०एन०एस० में विधिक परामर्श लने के उपरान्त कर दिया गया। उपरोक्त प्रकरण में समस्त सह अभियुक्तगण की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है एवं प्रार्थी का भी कृत्य सह अभियुक्तगण के समान है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं साक्षीगण में गम्भीर विरोधाभास है। प्रार्थी लगभग 14 दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में है जिला कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध है। अन्य कथनों के साथ में जमानत की याचना की गयी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से अभियुक्त की जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र का अपहरण कर गम्भीर अपराध कारित किया है। अपहृत सुनील की बरामदगी अभी तक नही हो सकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने के कारण उसकी गिरफ्तारी न हो पाने के कारण सह अभियुक्तगण मलिक व खालिद के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अन्य कथनों के साथ में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं केस डायरी का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वादी रमेश चन्द्र द्वारा उसके पुत्र सुनील को मलिक, सौरीश व खालिज द्वारा अपहरण किए जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। अपहृत सुनील की बरामदगी अभी तक नही हो सकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने के कारण उसकी गिरफ्तारी न हो पाने के कारण सह अभियुक्तगण प्रार्थी के भाई मलिक व मामा खालिद के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 17–05–2026 को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय द्वारा सह अभियुक्तगण मलिक व खालिज का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा स्वंय के प्रार्थना

पत्र के पैरा नं० 6 में यह स्वीकार किया गया है कि उसका कृत्य सह अभियुक्तगण के समान है। विवेचना के दौरान वादी मुकदमा तथा अनय साक्षियों द्वारा प्रार्थी की घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में विवेचक को बयान दिए गए है। विचारण के दौरान वादी मुकदमा रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा स्वंय को न्यायालय में पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित कराकर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तों के विरूद्व साक्ष्य दिया गया है। अपराध की गम्भीरता तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक अपहृत सुनील की बरामदगी नही की जा सकी है, प्रार्थी को जमानत प्रदान किए जाने का आधार पर्याप्त नही है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सौरीश का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद एवं एक प्रति अधीक्षक जिला कारागार फतेहगढ को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क प्राप्त करायी जाए।

(शैलेन्द्र सचान)

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।